



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1336/MP/12/2023-APCR


दिनांक: 26/07/2023

श्री अमित सांघी
पुलिस अधीक्षक,
जिला - छतरपुर,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
छतरपुर, मध्य प्रदेश 471001
Email Id: sp_chhatarpur@mppolice.gov.in

विषय: अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी पर शारीरिक हमला करने व जान से मारने की कोशिश करने के संबंध में श्री बाबूलाल पटेलिया जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का दिनांक 27.05.2023 का अभ्यावेदन.

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री बाबूलाल से दिनांक 05/07/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्र संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षर को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री बाबूलाल
ग्राम-चाचाइसमेरा
थाना-बकसवा
जिला-छतरपुर (मध्यप्रदेश)
Mobile No:9691843050